राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध अपील संख्या 01 / 2025

अपीलांट–	*बनाम*	रेस्पोडेंट–
1. श्री तगाराम पुत्र श्री तुलसाराम 2. श्रीमती सायरीदेवी पत्नी श्री तगाराम जातियान घांची, निवासीयान जसोल हाल निवासी रतनेश्वर महादेव मंदिर के सामने वार्ड संख 42 बालोतरा, जिला बालोतरा।		1. श्री मानाराम पुत्र श्री तगाराम जाति घांची, निवासी रामदेव नगर, तालाब रोड़, जसोल, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा। 2. श्री विमलेश पुत्र श्री तगाराम जाति घांची, निवासी आजाद चौक, घांचीयों का वास, बस स्टेण्ड के पास जसोल, बालोतरा। 3. श्री राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, बालोतरा।

विविध अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा बमुकदमा 04 / 2013 दिनांक 06.06.2024

उपस्थिति :–

1. अपीलांट स्वयं दौराने बहस उपस्थित।
2. रेस्पो0 सं. 1 से 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय।

निर्णय

दिनांक :17.06.2025

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत रेस्पोडेंट संख्या 4 उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा के द्वारा पारित आदेश बमुकदमा 04 / 2013 दिनांक 06.06.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 25.02.2025 को पेश की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी सं. 1 तगाराम के नाम से ग्राम जसोल की आबादी भूमि बमौहल्ला घांचीयो का वास मे एक आवासीय भूखण्ड स्वयं का पटटा सुदा व कब्जासुद, हक मालिकाना का अवस्थित है, जिसका क्षेत्रफल 409.94 वर्ग गज है। उक्त परिसर में बने हुए मकान के आगे चार दूकाने निर्मित की हुई है। प्रतिमाह रुपये 5000–5000 की दर से किराये पर दे

जिला कलक्टर
बालोतरा

रखी है तथा एक दुकान मासिक किराया रूपये 3,000/– मे दे रखी है, जिसका किराया विरोधी अप्रार्थी सं. 2 द्वारा वसूल किया जा रहा है। उक्त भूखण्ड को दिनांक 27.03.2017 व 22.05.2018 को अप्रार्थी संख्या 2 विमलेश व उसकी पत्नी सुमन उर्फ मक्का द्वारा बेईमानी व छलकपट धोखे से अपने नाम बख्सीसनामा करवाकर प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया गया है। प्रार्थीगण के पास उक्त संपति के अलावा जसोल मे तालाब रोड पर खरीदसुदा भूखण्ड है, जो उक्त भूखण्ड का मूल इकरारनामा अप्रार्थी संख्या 1 के पास है, जिसे उनके द्वारा नही लौटाया जा रहा है। अपीलांटगण के पास अपने भरण पोषण का कोई स्त्रोत नही रहा है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के नैसर्गिक माता–पिता है एवं वरिष्ठ नागरिक होने से अपना भरण पोषण, कपडे, ईलाज हेतु भरण पोषण भत्ता पाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण से 20,000/– रूपये प्रति माह भरण पोषण भत्ता, अप्रार्थी सं. 1 के पास तालाब रोड पर क्रय किया गया भूखण्ड का मूल इकरारनामा है उसे लौटाया जावे तथा अप्रार्थी सं. 2 व उसकी पत्नी के नाम दिनांक 27.03.2027 व 22.05.2018 को कपटपूर्वक करवाये गये बख्सीसनामा को शुन्य घोषित किया जावे एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को आत्म हत्या करने तथा मरने मारने की धमकियां नही दिये जाने हेतु पाबंद किया जावे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा द्वारा दर्ज कर रेस्पोडेंट्स को जवाब हेतु नोटिस जारी किये गये। पक्षकारान की सुनवाई उपरांत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भरण पोषण इस आधार पर खारिज किया कि प्रार्थी संख्या 1 तगाराम के बचत खाता संख्या 4497141239 मे उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा के आदेश दिनांक 06.06.2024 द्वारा अप्रार्थीगण 1 व 2 को प्रत्येक 5000–5000 रूपये प्रतिमाह की दर से भरण–पोषण के रूप मे राशि अदा करने हेतु पांबद किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 मानाराम के पास तालाब रोड़ पर प्रार्थी द्वारा खरीदसुदा भूखण्ड का असल इकरारनामा प्रार्थीगण को सुपुर्द करने के आदेश दिये गये तथा साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अपने बुजुर्ग माता पिता का मान–सम्मान बनाये रखे व उन्हें मरने–मारने जैसी धमकी देकर तंग व पेरशान नहीं करने हेतु पांबद किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.02.2025 को प्रस्तुत की गई है। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गए है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेंट जरिये नोटिस तलब किये एवं अपीलाधीन आदेश से संबधित पत्रावली मंगवाई जाकर अवलोकन किया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

4. अपीलांट द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी सं. 1 तगाराम के नाम से ग्राम जसोल की आबादी भूमि बमौहल्ला घांचीयो का वास मे एक आवासीय भूखण्ड स्वयं का पटटा व कब्जासुद, हक मालिकाना का अवस्थित है, जिसका क्षेत्रफल 409.94 वर्ग गज है। उक्त भूखण्ड में अपीलांट संख्या 1 द्वारा अपने स्वअर्जित आय से पूर्व मे एक पक्का मकान निर्मित कर रखा है, जिसमे दो कमरे, एक साल, एक चौक, डेली, रसोई, वरण्डा जिसमे लैटरीन–बाथरूम बने हुए है तथा परिसर के आगे चार दूकाने निर्मित की हुई है जो किरायेदार हडमान पुत्र चौथाराम, मगाराम पुत्र गंगाराम, ठाकराराम पुत्र कानाराम प्रजापत निवासी जसोल वालो को एक–एक दुकान प्रतिमाह रुपये 5000–5000 की दर से किराये पर दे रखी है तथा एक दुकान जीतु रावणा राजपूत निवासी कनाना वाले को मासिक किराया रुपये 3,000/– मे दे रखी है, जिसका किराया विरोधी अप्रार्थी सं. 2 द्वारा वसूल किया जा रहा है। उक्त संपति जिसका पटटा कार्यालय ग्राम पंचायत जसोल पंचायत समिति बालोतरा द्वारा आबादी भूमि विकय विलेख मिसल संख्या 38/2001–02 पटटा संख्या 29 दिनांक 13.03.2002 को जारी कर रखा है, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जसोल मे दिनांक 27.02.2013 को कम संख्या 2013001547 के पृष्ठ संख्या 142 से 144 पर पंजिबद्ध किया हुआ है। जिस भूखण्ड को दिनांक 27.03.2017 व 22.05.2018 को विरोधी पक्षकार सं. 2 विमलेश व उसकी पत्नी सुमन उर्फ मक्का द्वारा बेईमानी व छलकपट धोखे से अपने नाम बख्सीसनामा करवाकर प्रार्थीगण को बैदखल कर दिया गया है। प्रार्थीगण के पास उक्त संपति के अलावा जसोल मे तालाब रोड पर रतीराम पालीवाल से जरिये करार के खरीद किया भूखण्ड का मूल इकरारनामा विप्रार्थी संख्या 1 के पास है, जिसे उनके द्वारा नहीं लौटाया जा रहा है। अपीलांट के पास अपने भरण पोषण का कोई स्त्रोत नहीं रहा है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के नैसर्गिक माता–पिता है एवं वरिष्ठ नागरिक होने से अपना भरण पोषण, कपडे, ईलाज हेतु भरण पोषण भत्ता पाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण के पास आय के पर्याप्त स्त्रोत है। निवेदन है किया कि अप्रार्थीगण से 20,000/– रुपये प्रति माह भरण पोषण भत्ता, अप्रार्थी सं. 1 के पास तालाब रोड पर रतीराम से कय किया गया भूखण्ड का मूल इकरारनामा है उसे लौटाया जावे तथा अप्रार्थी सं. 2 व उसकी पत्नी के नाम दिनांक 27.03.2027 व 22.05.2018 को कपटपूर्वक करवाये गये बख्सीसनामा को शुन्य घोषित किया जावे एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को आत्म हत्या करने तथा मरने मारने की धमकियां नहीं दिये जाने हेतु पाबंद किया जावे। अधीनस्थ भरण पोषण अधिकरण ने धारा 23 का उल्लेख करते समय कानूनन भूल की है। जब कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपति को उपहार या गिफ्ट या अन्यथा अपने निकट

जिला कलक्टर
बालोतरा

ओर प्रियजनो के पक्ष में निष्पादित करके छोडता है, तो वरिष्ठ नागरिक की देखभाल करने की शर्त जरूरी नहीं है। तथापि प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ भरण पोषण अधिकरण मे प्रस्तुत शपथ पत्र पर किये गये कथनो से उक्त सबंध मे शर्तों को पूर्ण रुप से स्थापित भी किया है। अधीनस्थ भरण पोषण अधिकरण द्वारा प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा चाहे गये अनुतोष एवं भावना के विपरित जाकर निर्णय एवं पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में तथ्यों एवं विधि की गलत व्याख्या करते हुए अपीलांट के प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावें तथा अपीलांट को रेस्पोडेंट्स संख्या 01 व 2 अप्रार्थीगण से 20,000/– रुपये प्रति माह भरण पोषण भत्ता, अप्रार्थी सं. 1 के पास तालाब रोड पर रतीराम से क्रय किया गया भूखण्ड का मूल इकरारनामा है उसे लौटाया जावे तथा अप्रार्थी सं. 2 व उसकी पत्नी के नाम दिनांक 27.03.2027 व 22.05.2018 को कपटपूर्वक करवाये गये बख्सीसनामा को शुन्य घोषित किया करते हुए एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को आत्म हत्या करने तथा मरने मारने की धमकियां नहीं दिये जाने हेतु पाबंद किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

5. रेस्पोडेंट संख्या 01, 02 स्वयं दौराने बहस बावजुद सूचना अनुपस्थित रहने एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों को अद्योपान्त अध्ययन किया जिससे पाया जाता है कि उक्त मामला उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा दर्ज कर सुनवाई उपरांत फैसला इस प्रकार से किया गया **"उपर्युक्त विवेचन आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 (1) (क) और (ख) तथा धारा 22 व 23 के तहत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण कल्याण अधिनियम 2007 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण, विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नैसर्गिक माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक होने के कारण उनका समुचित रूप से बुनियादी सुख सुविधा, चिकित्सा एवं खान–पान का ध्यान रखने हेतु विप्रार्थी संख्या 01 व 02 को प्रार्थी के पोस्ट ऑफिस जसोल के बचत खाता संख्या 4497141239 में प्रतिमाह पांच–पांच हजार रूपये प्रत्येक माह की पांच तारीख तक आवश्यक रूप से जमा कराये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। प्रार्थीगण अपने बैंक खाता पासबुक में मासिक हस्तान्तरण के प्रतिलिपि कार्यालय हाजा में प्रेषित करें। विप्रार्थी संख्या 01 मानाराम के पास तालाब रोड पर**

जिला कलक्टर
बालोतरा

रतिराम पालीवाल से खरीद किये गये भूखण्ड का असल इकरारनामा प्रार्थीगण को सुपुर्द करने के आदेश प्रदान किये जाते है. साथ ही विप्रार्थी संख्या 01 व 02 को पाबन्द किया जाता है कि वे अपने बुजुर्ग माता–पिता का मान सम्मान बनाये रखें व उन्हें किसी प्रकार मरने–मारने जैसी धमकी देकर तंग व परेशान नही करें। पालनार्थ थानाधिकारी जसोल को आदेश की प्रति प्रेषित हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।" उक्त मामले में विधिवत रूप से सुनवाई कर प्रार्थी की मांगों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। ऐसे में उक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटी नहीं है। प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण 1 व 2 को प्रत्येक 5000–5000 रूपये प्रतिमाह तथा अप्रार्थी संख्या 1 मानाराम के पास तालाब रोड़ पर प्रार्थी द्वारा खरीदसुदा भूखण्ड का असल इकरारनामा प्रार्थीगण को सुपुर्द करने के आदेश उपरांत ऐसा कोई बिंदू शेष नहीं रहता, जिस पर इस न्यायालय द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त किया जाना हो।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के परिणामस्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन हाने से खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा